

वैश्वीकरण के दौर में बाल श्रम

प्राप्ति: 18.12.2022
स्वीकृत: 25.12.2022

95

डॉ० अजय प्रकाश भारती

शोध निदेशक, समाजशास्त्र विभाग
महर्षि सुचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
ईमेल:

निगहत्

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
महर्षि सुचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
ईमेल:

सारांश

वैश्वीकरण की व्याख्या करना बहुत कठिन है। कहीं सर्वसम्मति नहीं है। इस सम्बन्ध में हाथी और सात अंधों की कहानी बड़ी प्रासंगिक लगती है। अंधों को यह काम सौंपा गया कि वे हाथी को परिभाषित करें जिसका हाथ हाथी की सूंड पर पड़ा उसने परिभाषा दी कि हाथी किसी रस्सी के आकार का होता है, जिसने पांवाँ को परखा, कहा कि हाथी खम्भों जैसा होता है— और यह पुरानी कहानी हर अन्धे की परिभाषा के इर्द-गिर्द घूमती है। कुछ विचारक इसे एक आर्थिक अवधारणा मात्र समझते हैं। उनके लिए वैश्वीकरण उदारीकरण, निजीकरण और निवेश है। यह सब बाजार की स्थिति में होता है। वहीं दूसरे के दौर में भारतीय संस्कृति, परंपरा वैश्विक स्तर पर प्रकाशस्तंभ के रूप में उज्ज्वलित हुई है। बालश्रम का अस्तित्व एक विश्वव्यापी परिघटना है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सम्पूर्ण विश्व के देश कर रहे हैं, चाहे वह विकसित देश हो अथवा विकासशील या गरीब। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के ताजा प्रतिवेदन के अनुसार देश में 33 करोड़ बच्चों में से 8 करोड़ बच्चों से अधिक बाल श्रमिकों के रूप में विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत हैं। लाखों बच्चों ऐसे पेश व उद्योगों में लगे हैं जो जोखिम भरे, खतरनाक व शोषणकारी हैं तथा उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य में रूकावटें पैदा करके उनके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सन 2006 में विश्व जनसंख्या का 27 प्रतिशत बच्चे थे, जिनमें से 40 प्रतिशत बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक हैं। अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 4.44 मिलियन बाल श्रमिक भारत में हैं जो संसार में सबसे अधिक हैं। चेम्बर ऑफ़कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अनुमान के मुताबिक 100 मिलियन बाल श्रमिक भारत में हैं। जबकि सहगल आंकलन के अनुसार यह संख्या 140 मिलियन है। इसी क्रम में उल्लेखनीय बात है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कराए गए सर्वेक्षण के सन्दर्भ में भारत के श्रम मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य सरकारों ने 4,81,698 बाल श्रमिकों की पहचान की है, जो ग्रामीण, शहरी व अल्प शहरी क्षेत्रों में खतरनाक गतिविधियों में कार्यरत हैं।

मुख्य बिन्दु

वैश्वीकरण, महामारी, भारतीय संस्कृति, मानव जीवन।

वैश्वीकरण एक जटिल, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। यह दो धारी तलवार है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसने विकास की असीम सम्भावनाएँ उपस्थित की हैं, जबकि विनाश के पर्याप्त तत्व भी इसमें मौजूद हैं। ऐतिहासिक विकास के क्रम में इसे अपने हितों के अनुरूप ढालना हम सबका युग धर्म है। समाज विज्ञान की दृष्टि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया समय और दूरी का राष्ट्र राज्य से आगे संकुचन उत्पन्न करती है।

कुछ विचारक इसे एक आर्थिक अवधारणा मात्र समझते हैं। उनके लिए वैश्वीकरण उदारीकरण, निजीकरण और निवेश है। यह सब बाजार की स्थिति में होता है। कुछ विचारक वैश्वीकरण का अर्थ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सन्दर्भ में निकालते हैं और कुछ की दृष्टि में वैश्वीकरण वह वृहद सामाजिक प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण मानव जीवन को अपने अन्दर समा लेती है। कुछ मार्क्सवादी इस प्रक्रिया को मुक्ति देने वाली प्रक्रिया मानते हैं।

राबर्टसन के अनुसार के अनुसार “वैश्वीकरण दुनियाँ के दबाव और दुनिया की चेतना के तीव्रीकरण दोनों से संयुक्त रूप से सम्बन्धित है। वैश्वीकरण लादने का दबाव तेजी से बढ़ा है, किन्तु इसने अन्तरात्मक शक्ति प्रदान किया।”

“वैश्वीकरण अन्तर्वेशन और वहिष्करण की एक जटिल प्रक्रिया है इसमें विश्व बाजार, विभिन्न आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, मल्टीमीडिया, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति आदि के एकीकरण का अन्तर्वेशन हो रहा है जबकि राष्ट्र-राज्य की प्रभुसत्ता और स्वदेशीयता आदि का बहिष्करण हो रहा है।”

थॉमस फ्राइडमैन के अनुसार “वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है। इसमें विश्व का मध्यम से छोटे रूप में ऐसा संकुचन हो रहा है जिससे हम सभी दुनियाँ के हर कोने में इतनी जल्दी और सस्ते में पहुँच जायें जितने में पहले कभी सम्भव नहीं था। पूर्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतियों, आर्थिक नीतियों तथा सभी देशों के विदेशी सम्बन्धों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया समय और दूरी का राष्ट्र राज्य से आगे संकुचन उत्पन्न करती है। वैश्वीकरण की वर्तमान धारा का उदारीकरण और निजीकरण से अभिन्न सम्बन्ध है। यह पूंजी, श्रम, उत्पाद, प्रौद्योगिकी और सूचना के जरिये आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रों के बीच गठबन्धन निर्माण के साथ ही सम्पन्न हो रही हैं इसे सूचना तकनीकी तथा जैव प्रौद्योगिकी में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों से गति मिली है।

सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में ‘वैश्वीकरण’ का प्रयोग करने का श्रेय पिट्सवर्ग विश्वविद्यालय के रोलैण्ड राबर्टसन को जाता है। राबर्टसन मुख्य रूप से विरोधाभासों की उपस्थिति, प्रतिरोध और इसके बराबर की शक्तियों, अस्वीकार किये गये नियमों व प्रवृत्तियों के एक द्वन्द की उपस्थिति, स्थानीय वैश्विक, विशेष व सार्वभौमिक, एकता के रूप में वैश्वीकरण को स्वीकार करने पर बल देते हैं।

परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है यह पंक्ति मानवीय जीवन, समाज, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएँ, दृष्टिकोण आदि सभी पर लागू होती है। यह परिवर्तन ही तो है जिसके जरिये आज हम सामाजिक दूरत्व को मानते हुए भी आपस में जुड़कर अपने भावों को संप्रेषित कर पा रहे हैंय तकनीक द्वारा एक आभासी दुनिया का निर्माण करके। पर परिवर्तन

उसी सीमा तक ग्राह्य होनी चाहिए जब तक वह हमारे मानवीय, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्य को क्षत्-विक्षत् न करे। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के इस कठिन समय में भारतीय संस्कृति विश्व के अन्य देशों में अपनी गरिमा, महता और प्रभाव स्थापित कर सबको दिशा-निर्देश कर रही है।

कोविड-19 के इस महामारी से जहां पूरा विश्व शारीरिक-मानसिक रूप से आक्रान्त है वहीं विभिन्न देश भारतीय संस्कृति व परंपरा से आशा और विश्वास की सीख ले रहा है। हम भारतीयों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में जहां योग, आध्यात्म, सात्विकता की शिक्षा दी जाती थी आज उसी शिक्षा का पालन अन्य देश कर रहे हैं। दरअसल वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हम भारतीयों को अपनी चकाचौंध में इस तरह भ्रमित कर दिया था कि हम खुद जाने अनजाने में ही कब उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपने मूल्यों को भूलने लगे थे। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता के होड़ में हम मानवीय और नैतिक मूल्यों को भूला बैठे थे। संस्कृति के मूल भाव आत्मीयता, संवेदना और सहानुभूतिशीलता को खत्म कर मशीनीकरण की इस सभ्यता में हम भी मशीन बन चुके थे। सच कहे तो हम आज मशीन के पुर्जे बन चुके हैं। जीना शब्द में किसे जीने और कैसे जीने की बात करता है हम उससे अनभिज्ञ थे। वैश्वीकरण की बदौलत बाजार और बाजार की चमक दमक और दिखावा को ही जीने का असली अर्थ मान लिया था। पर आज कोविड-19 से उत्पन्न विश्व परिस्थिति ने हमें सिखाया वास्तविक जीना क्या है।

संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष होमर फॉक्स ने बाल श्रम को परिभाषित करते हुए कहा है- बच्चों द्वारा किया जाना वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती है। विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से 50 प्रतिशत बाल श्रमिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल व श्रीलंका में है। भारत में आज भी बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है जिसका कारण गरीबी एवं अज्ञानता है। बिहार में हर साल करीब 33,000 बाल मजदूर दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं। सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही बिहार के करी 50,000 बाल मजदूर काम कर रहे हैं। बाल श्रमिकों की संख्या बीमारू राज्यों में अधिक है। बिहार में बाल श्रम कानून 1997 में लागू किये गये इस कानून के अनुसार 14-वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक पेशों में काम करने की मनाही है। मई, 1997 में जिलाधिकारियों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 21,281 बच्चे खतरनाक और 28,861 बच्चे गैर-खतरनाक पेशों में कार्य कर रहे हैं। 1994 से 2004 के बीच बाल श्रम कानून उल्लंघन के 17,632 मामलों में से सिर्फ 1468 मामलों में ही मुकदमा दर्ज किया गया।

दिसम्बर 2004 में राजस्थान के अजमेर जिले में पश्चिम बंगाल के उन बंधुआ मजदूरों की जानकारी प्रकाश में आयी जो अजमेर में होने वाले आरीतारी के काम में लगे हुए थे। ये बच्चे अभिशप्त जीवन उन व्यक्ति के कारण जी रहे हैं, जिनहें हजारों मील दूर पश्चिम बंगाल के मदिनापुर से लाकर अजमेर के फौवट्री मालिकों को कथित रूप से बचे दिया गया था। इस तरह के दुःखद उदाहरण दूसरे राज्यों में भी दृष्टिगोचर हुए हैं। राजधानी दिल्ली में ही करीब दो लाख बाल श्रमिक हैं। राजधानी दिल्ली का हर पाँचवा बच्चा बाल श्रमिक है।

कुल बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है तथा 30 से 35 प्रतिशत तक कल-कारखानों में कार्यरत हैं, शेष पत्थर खादानों, चाय बागानों, कुटीर उद्योगों, दुकानों एवं घरेलू कार्यों

में अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश है। बाल श्रमिकों के वयवसाय को मुख्य रूप से चार भागों में बाँटा जा सकता है

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| (क) कृषि | (ख) निर्माण |
| (ग) व्यापार एवं | (घ) घरेलू एवं वैयक्तिक सेवा । |

बाल श्रम के सबसे ज्यादा दोष असंगठित उद्योगों और वर्कशॉपों में पाए जाते हैं, जहाँ ज्यादातर बच्चे काम करते हैं। अनेक ऐसे उद्योग हैं, जहाँ बच्चे अपने जीवन की कोमलता खो रहे हैं।

1. शिवकाशी (तमिलनाडु) में दिया सलाई उद्योग।
2. जयपुर (राजस्थान) में बहुमूल्य पत्थर पालिश उद्योग।
3. टाइल उद्योग जगमपेट (आंध्रप्रदेश)
4. मत्सय पालन—केरल।
5. हथकरघा उद्योग तिरुवनंतपुरम, विरूपुर, कांचीपुरम एवं चिनालपट्टी।
6. बीड़ी उद्योग त्रिशूर (केरल), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)।
7. कालीन उद्योग भदोही, मिर्जापुर, पट्टी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश), राजस्थान, एवं जम्मू कश्मीर।
8. कांच उद्योग फिरोजाबाद (उ०प्र०)
9. चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा (उ०प्र०)
10. ताला उद्योग—अलीगढ़ (उ०प्र०)

बालश्रम के कारण

बाल श्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। बालकों का शोषण मानवाधिकारों का उल्लंघन है। विश्व के हर बच्चे का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं को प्राप्त करे। परन्तु ऐसी संभव नहीं हो रहा है। बालश्रम का पहला एवं महत्वपूर्ण कारण आर्थिक विवशता है। गरीबी, जो कि विकासशील देशों में व्यापक रूप से फैली हुई है, इस समस्या की जड़ है। इसका दूसरा कारण परिवार का बड़ा आकार होना है। ऐसे परिवार, जहाँ सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहाँ एक व्यक्ति की आय से परिवार चलाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की आय आजीविका का स्रोत बनती है। बालश्रम का अन्य तीसरे महत्वपूर्ण कारणों में बाल श्रमिकों का सस्ते दर पर उपलब्ध होना भी है। नियोजित अल्प मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे वयस्क की बजाय बच्चों को श्रमिकों के रूप में रखकर मुनाफा बढ़ा लेते हैं। अन्य कारणों में प्राकृतिक आपदाएँ भी बाल श्रम के लिए उत्तरदायी हैं। जब कोई प्राकृतिक संकट उत्पन्न होती है, तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर माता-पिता प्राकृतिक आपदा से ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें काफी हानि होती है। वे अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ पाते हैं ऐसी दशा में बालकों द्वारा श्रम करवाना उनकी नियति बन जाती है। वर्तमान में जुलाई 2008 बिहार राज्य के चार जिलों मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया में कोसी की आयी विनाश लीला के तांडव नृत्य के कारण कितने घरों की बर्बादी हुई और हजारों बच्चे श्रम की नियति बन गई।

दुष्प्रभाव

बालश्रम का प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ माचिस एवं आतिशबाजी उद्योगों में लगे बाल श्रमिक पोटेथियम क्लोरेट फॉस्फोरस एवं जिंक ऑक्साइड जैसे

विशैले एवं खतरनाक रसायनों के बीच काम करते हैं, वही मेघालय की निजी खदानों में बच्चे 90 सेटी० मी० व्यास के छोटे-छोटे गडढो में काम करते हैं। काँच उद्योग में लगे हुए बच्चे 700 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्टि के इर्द-गिर्द काम करने को मजबूर हैं। इन विकट एवं संकट दशाओं में काम करने के कारण ये बाल श्रमिक कई बीमारियों जैसे टी0बी0, कैंसर, सांस की बीमारी, चर्मरोग, दमा फोटोबिया के शिकार हो रहे हैं। बाल श्रम में संलिप्त बच्चों के सिर्फस्वास्थ्य को ही हानि नहीं पहुँचती, बल्कि साथ ही साथ उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास को क्षति पहुँचती है। मैरिल का विचार है कि आयु कम होने के कारण बच्चों को भी काम में लगाया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो पाती। गरीबी के कारण इन बाल श्रमिकों की अनेक इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं। जिनकी तृप्ति के लिए वे अपराधों का सहारा लेते हैं। होटलों या उपहार गृहों में काम करने वाली बालिकाएँ यौन अपराध की ओर शीघ्र प्रवृत्त होती हैं। सभी मनावैज्ञानिक व अपराधशास्त्री बालश्रम का बाल अपराध से धनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं।

बालश्रम से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में बाल श्रमिकों का उनके नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों के द्वारा उपाय के प्रयास किए गए हैं—

- **अनुच्छेद 23—** मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध— मान का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिबंधित किया गया है।
- **अनुच्छेद 26—** कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध— 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा।
- **कारखाना एक्ट, 1925—** 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे माना गया, काम करने की अवधि (आधे घण्टे के विश्राम मध्यान्तर सहित) 6 घण्टे नियत की गयी है।
- **कारखाना एक्ट 1958—** 15 वर्ष की उम्र होने पर ही किसी व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। काम के घण्टे 8 मध्यान्तर सहित 5 घण्टे कर दिए गए।
- **खान एक्ट 1952—** इस एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान में किसी भी भाग में, चाहे यह भूमिगत हो या खुले में खुदाई को कार्य हो, काम पर रखना मना किया है।
- **बागान श्रमिक एक्ट 1951—** इस एक्ट के अन्तर्गत रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष रखी गयी है।
- **बाल श्रमिक निरोध अधिनियम 1986—** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ रोजगारों में उन बालकों को काम पर लगाने से रोका जाए, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा अन्य रोजगारों में बालकों की कार्य करने की दशाओं का नियमन किया जाए। अधिनियम में इस बात का भी प्रावधान है कि कोई भी बालक रात्रि के 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जाए। इस अधिनियम में पारिवारिक काम—धंधे या मान्यता प्राप्त स्कूल पर आधारित गतिविधियों को छोड़कर बच्चों से निम्न तरह के व्यावसायों में काम करवाने की मनाही है।

निष्कर्ष

पूँजीवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव और उसकी नयी ऊर्जा से मानव जाति, समाज एवं प्रकृति का नैसर्गिक सौन्दर्य एवं संतुलन दोनों बिगड़ गये। यह त्रिकोणीय प्रभाव जहाँ विश्व

की अन्य संस्कृतियों पर लगातार आक्रमण किये जा रहा है वही भारतीय संस्कृति अपनी मूलभूत तत्वों के साथ आज भी सदृढ़ खड़ी है। हमारी संस्कृति व मूल्य कभी वैष्वीकरण की पक्षधर नहीं रही, वह सदैव अर्थ की जगह प्रेम, भाव, संबंध को मूल्य दिया है। मनुष्य के मनुष्यत्व, संवेदन, सहानुभूति जैसे श्रेष्ठतम तत्वों की बात संस्कृति करता है और हमारा साहित्य उन तत्वों को अभिव्यक्त करता है। भारतीय संस्कृति त्याग तथा आत्मिक केन्द्रित है और पाश्चात्य संस्कृति भोग तथा भौतिकता पर आधारित है। वैश्वीकरण के दौर में हम उस आत्मिक सुख को छोड़कर भौतिक सुख के पीछे भाग रहे थे पर कोविड-19 की इस महामारी ने आज भारतीय संस्कृति को प्रासंगिक बनाया है। निस्संदेह भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर और आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है। बीड़ी बनाना, साबून बनाना, ऊन साफ करना भव निर्माण, चमड़ा रंगना, दिया सलाई बनाना तथा विस्फोट व आतिशबाजी का सामान बनाना, अन्नक काटना एवं कूटना, कालीन बुनना, सीमेंट बनाना व भरना, कपड़ों की छपाई, रंगाई, आदि। इस बात का सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि बालक प्रत्येक राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति है और बाल श्रम राष्ट्र के लिए कलंक है। 1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनाई गई। बालश्रम समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष बल दिया कि काम पर लगे बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुल-नीति दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। समिति ने सिफारिश की कि बालश्रम को रोकने तथा उनका नियमन करने के लिए वर्तमान में जो कानून प्रचलित है, उसके स्थान पर एक विस्तृत तथा व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है तथा किसी भी कार्य में बच्चों के प्रवेश की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। बालश्रम की समस्या के निवारण के लिए अनेकानेक संवैधानिक प्रयास किए गए हैं, परन्तु क्या कारण है कि आज भी बाल श्रमिकों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। समाजिक चेतना, शिक्षा तथा बालश्रम की प्रवृत्ति का उन्मूलन संभव नहीं है। समाज का प्रत्येक वर्ग, विशेषक पूँजीपति वर्ग जब तक अपने आर्थिक लाभ को छोड़कर मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

संदर्भ

1. प्रकाश, रवि. (2005). "वैश्वीकरण एवं समाज". शेखर प्रकाशन: इलाहाबाद. पृष्ठ 315.
2. राबट्सन, आर. (1998). ग्लोबलाइजेशन, "सोशल थियरी एण्ड ग्लोबल कल्चर". सेज पब्लिकेशन्स: लन्दन. पृष्ठ 64.
3. पाण्डेय, रवि प्रकाश. (2004). कन्वल्सिव सिनॉप्सीस ऑफ इण्टरनेशनल सेमिनार ऑन ग्लोबलाइजेशन पावर्टी. हेल्ड ऑन 4-6 दिसम्बर. आर्गनाइज्ड वाई.एम.जी. काशी विद्यापीठ: वाराणसी. पृष्ठ 01.
4. गिलीपीन, आर. (1987). 4 पालिटिकल, इकोनामी ऑफ इण्टरनेशनल रिलेशन्स. प्रिन्सेटॉन यूनिवर्सिटी.
5. वाटर्स, एम. (1995). ग्लोबलाइजेशन. राउटलेट्ज: लन्दन. पृष्ठ 38.
6. टाम्लीन्सन, जे. (1999). ग्लोबलाइजेशन एण्ड कल्चर. पालिटी प्रेस: कम्बाइड, यू0के0. पृष्ठ 16.
7. वेटर्स, एम. (1995). "ग्लोबलाइजेशन". राउटलेट्ज: लन्दन. पृष्ठ 04.
8. टाम्लीन्सन, जे. (1999). ग्लोबलाइजेशन एण्ड कल्चर. पालिटी प्रेस: कम्बाइड, यू0के0. पृष्ठ 38-48.

9. डॉ. अमरकान्त. हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली. राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली.
10. श्रीवास्तव, रवि. उत्तर आधुनिकता विभ्रम और यथार्थ. नेशनल पब्लिशिंग हाउस: नई दिल्ली.
11. राजोरा, सुरेश चन्द्र. समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं.
12. बसुरु, डी०डी०. (2006). भारतीय संविधान.
13. महाजन., महाजन. भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं.
14. सिन्हा, पी०आर०एन०., इन्दुबाला. श्रम एवं समाज कल्याण.